फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

सोनाक्षी बनाम शिवराम वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0– 76/2026

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नंबर 131, 132 वाके रामा मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है, उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदारान की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की पोत्र सन्तान है एवं पैतृक भूमि पर पिढी दर पीढी वारिसान का हक अधिकार रहता है तथा दादा की जमीन पर पोत्र पोत्रियों का जन्म से ही कानूनन हिस्सा एवं अधिकार होता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम खातेदारी होने की आड में उक्त भूमि का अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया है एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा बेबुनियाद तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है तथा पैतृक भूमि नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस के मनन से यह साबित होता है विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पैतृकता के आधार पर उदघोषणा वादपत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मिसल तलबी प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किए गए विक्रय पत्र की प्रति भी पेश की है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि की यथास्थिति परिवर्तन करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी अपने इस मकसद में सफल होते है तो प्रार्थीगण को इससे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है, अपूर्णनीय क्षति का सिद्वांत एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जाता है कि जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण भूमि आराजी खसरा नंबर 131, 132 वाके रामा मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	